

शांति भंग करने के 06 आरोपी गिरफ्तार :-

धर्मेन्द्र सिंह हैड कानि० थाना बौली ने श्री पप्पू उर्फ कौशलराज पुत्र रतनलाल निवासी जौलन्दा थाना बौली को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार देवीलाल हैड कानि० थाना बाटौदा ने अरविन्द पुत्र रामप्रसाद जाति गूजर उम्र 30साल निवासी बूचोलाई थाना गंगापुरसिटी , गोलू उफ राजकुमार पुत्र श्री गिराज जाति गूजर उम्र 20 साल निवासी गूजर ठिकरिया थाना बाटौदा , दिनेश पुत्र रामहेत गूजर 25 साल निवासी चिरोला थाना सदर गंगापुरसिटी , ललित उफ अजय पुत्र श्री गुलशन गूजर उम्र 30 साल निवासी मिजापुर थाना सदर गंगापुरसिटी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार तेजसिंह हैड कानि० थाना मानटाउन ने श्री दिनेश कुमार पुत्र गोपीलाल महावर उम्र 25 साल निवासी आदर्श नगर ए थाना मानटाउन स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

शराब पीकर वाहन चलाते 01 आरोपी गिरफ्तार:-

महेश्वर लाल स०उ०नि० थाना मानटाउन ने श्री पृथ्वीराज पुत्र रामप्रसाद जाति मीना उम्र 35 साल निवासी श्यामपुरा थाना मलारना डूंगर स०मा० को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

जुआ खेलते 03 आरोपी गिरफ्तार:-

माधो सिंह हैड कानि० थाना चौथ का बरवाडा ने 1. रतनलाल पुत्र श्री दौलतराम मीना निवासी हैदरपुरा थाना अलीगढ जिला टोंक, 2. सियाराम पुत्र श्री कियानलाल जाति हिन्दू तैली निवासी ऐकडा थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर , 3. रामधन पुत्र श्री हरचन्दा मीना निवासी देवपुरा थाना चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर को ताश के पत्तों पर पैसों का दाव लगाकर ग्राम ऐकडा में जुआ खेलते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय ताश के 52 पत्ते व 1150 रूपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 213/17 दर्ज किया गया।

सट्टे की खाईवाली करने का 01 आरोपी गिरफ्तार:-

शिवदयाल हैड कानि० थाना गंगापुरसिटी ने अब्दुल अजीज पुत्र श्री बुन्दू खां जाति मुसलमान उम्र 57 साल निवासी सुभाष कोलोनी गंगापुर सिटी को अस्पताल के पास गंगापुरसिटी में सट्टे की खाईवाली करते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय सट्टा उपकरण एवं 750 रूपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 752/17 दर्ज किया गया।

ध्वनि प्रदूषण के 01 आरोपी गिरफ्तार :-

मदन सिंह हैड कानि० थाना रवांजना डूंगर ने नरेश पुत्र श्री गोविन्द जाति राजपूत उम्र 25 साल निवासी मलारनाचौड थाना मलारना डूंगर को ध्वनि प्रदूषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी सार्वजनिक स्थान फलौदी अस्पताल के पास ट्रक में तेज आवाज में स्पीकर चलाते मिला जिस पर आरोपी के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत मय डेक मशीन ,स्पीकर मय मैमोरी कार्ड के मु०न० 207/17 U/S 4/6 RNC ACT में थाना रवांजना डूंगर पर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

दर्ज मुकदमात के 02 आरोपी गिरफ्तार :-

रामावतार स०उ०नि० थाना मानटाउन ने दर्ज मुकदमात के आरोपी श्री राजेश उर्फ संजय चौधरी पुत्र स्व० रामस्वरूप चौधरी उम्र 23 साल निवासी न्योरी थाना बेलागंज जिला गया (बिहार) , श्रीमति चंचल देवी पत्नि लक्ष्मण जाति राजपूत उम्र 22 साल निवासी छाछ बकरोर थाना बोद्ध गया जिला गया (बिहार) को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमति सन्तरा पुत्री अर्जुन योगी उम्र 35 साल निवासी चकेरी थाना मलारना डूंगर स०मा० ने दिनांक 03.11.2017 को आरोपी के विरुद्ध थाना मानटाउन पर मु०न० 362/17 U/S 420 IPC में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।